सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 188/प्रा0पत्र/2022 **दायरा दिनांक :–06.09.2022**

GCMS ID–2022/102

1. रामभरोस आ0 तेज्या जाति रेगर निवासी काछोला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन
वकील अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार।

दिनांक :– 16/04/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 181 खसरा संख्या 2096 रकबा 0.4452 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2097 रकबा 0.0324 गे0मु0खड्डा, खसरा संख्या 2098 रकबा 0.2266 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2774/2095 रकबा 0.6232 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.3274 हैक्टेयर, वाके ग्राम काछोला पटवार मण्डल काछोला तहसील हिण्डोली में विस्थित है, जिसमें प्रार्थी का 1/6 हिस्सा निहित है, उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम भरस्या दर्ज हो रहा है। प्रार्थी का नाम रामभरोस है, जो प्रार्थी के सभी दस्तावेज में अंकित है, परन्तु प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद पटवारी हल्का व राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थना पत्र की चरण की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में भरस्या आ रही है, तथा उक्त इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जन आधार कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम रामभरोस अंकित है एंव भूमि खाता संख्या 6 वाके ग्राम काछोला के राजस्व रिकॉर्ड में भी प्रार्थी का नाम रामभरोस ही दर्ज है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में प्रार्थी का नाम भरस्या के नाम से इन्तकाल खोल दिया गया है जो अवैध व निरस्तीय योग्य है, इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये गये इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर भरस्या के स्थान पर रामभरोस दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रार्थी उक्त गलत इन्द्राज को सही करवाने हेतु पटवारी साहब व तहसीलदार साबह के सम्पर्क किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 15.08.2022 को इन्कार कर दिया यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में दर्ज प्रार्थी का भरस्या के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर रामभरोस दर्ज करवावे एवं उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सही नाम रामभरोस दर्ज करवावे। भूमि वाके ग्राम काछोला पटवार मण्डल काछोला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विरिथत होने से एवं श्रीमान लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 181 खसरा संख्या 2086 रकबा 0.4452 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2097 रकबा 0.0324 गे0मु0खड्डा, खसरा संख्या 2098 रकबा 0.2266 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2774/2095 रकबा 0.6232 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.3274 हैक्टेयर, वाके ग्राम काछोला पटवार मण्डल काछोला तहसील हिण्डोली राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम भरस्या के इन्द्राज को दुरूस्त कर उक्त स्थान पर रामभरोस दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम रामभरोस दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :– राजस्व/24/588 दिनांक :–18.03.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम काछोला की भूमि खाता संख्या 59 में दर्ज अपना भरस्या को शुद्ध करवाकर रामभरोष करवाना चाहता है। जिसके संबंध में मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियो/मौतबिरान व्यक्तियों द्वारा उक्त खाता नम्बर में दर्ज सहखातेदार भरस्या पुत्र तेज्या व रामभरोस पुत्र तेज्या एक ही व्यक्ति के नाम है। जिसको भरस्या के स्थान पर रामभरोस शुद्ध दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम रामभरोस पुत्र तेज्या है जिन्हे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन–आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक डायरी, पेश किए है जिसमें प्रार्थी का नाम रामभरोस पुत्र तेज्या दर्ज है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446.

उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम काछोला पटवार मण्डल काछोला के खाता संख्या 181 में दर्ज सहखातेदार भरस्या पुत्र तेज्या के स्थान पर रामभरोस पुत्र तेज्या शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 16.04.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

(शिवराज मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446